न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़ , I.A.S.

प्रकरण संख्या –60/2020 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2020/00183

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा–राज.

–अपीलाण्ट.

बनाम

रानी बाई पुत्री देव्या जाति भील निवासी ग्राम चांदबावडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लै0 रे0 एक्ट बनाराजगी आदेश दिनांक 21.05.2019 नामा0 सं0 51 ग्राम अखावा न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लाडपुरा, जिला कोटा

निर्णय

दिनांक– 20.04.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम अखावा में मृतक खातेदार का नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 21.5.2019 को मात्र एक पुत्री रानी बाई के नाम से खोला जाकर स्वीकृति किया गया, जबकि मृतक खातेदार के अन्य वारिसान भी होना पाया गया है ।

2. उक्त नामान्तकरण में त्रुटि रहने के कारण तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उक्त नामान्तकरण सं0 51 ग्राम अखावा की अपील इस न्यायालय में दिनांक 14.10.2020 को पेश कर कथन किया है कि ग्राम अखावा में स्व0 देव्या के स्वर्गवास के उपरान्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट शपथ पत्र रानी बाई एवं ग्रामवासियों की जानकारी के आधार पर खोले गये उक्त नामान्तकरण में गांव वालों द्वारा पूर्ण जानकारी नहीं दिये जाने के कारण मात्र रेस्पो0 के नाम तस्दीक हो गया है जबकि उसके अन्य वारिसान भी है । उक्त त्रुटि की जानकारी कानूनगो के गांव में जाने पर तथा पूर्ण जानकारी होने पर कि मृतक के चार पुत्रियां व एक बेवा भी है जो जीवित है उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है इसी उद्देश्य की पूर्ति दिनांक 28.9.2020 की रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपील उक्त त्रुटि को सही करने हेतु पेश की जा रही है । स्व0 देव्या पुत्र नन्दा जाति भील निवासी चांदबावडी पत्नि व पुत्रियां जिनके नाम कमश कन्या बाई, जमनाबाई, मन्जू बाई, कान्ही बाई , सीता बाई जो जीवित है तथा स्व0 देव्या के जीवन काल से ही उसके साथ निवास कर रही है तथा वह देव्या की जाय पुत्री व पत्नि है तथा स्व0 देव्या की आराजी पैतृक आराजी होने से उनका उक्त आराजी हिस्सा निहित है । चूंकि स्व0 देव्या के मरने के बाद जो पटवारी हल्का द्वारा रेस्पो0 व ग्रामवासियों की जानकारी के

जिला कलेक्टर
कोटा

आधार पर जो रिपोर्ट तैयार कर प्रेषित की है उसको आधार मानकर ही उपरोक्त रेस्पो0 के नाम नामान्तकरण खोला गया है । अभी हाल में कानूनगो गांव में जाने व जांच करने तथा सही स्थिति की मालूमात करने पर ज्ञात हुआ है कि मृतक देव्या के चार पुत्रियां व पत्नि जीवित है इसलिए उपरोक्त नामान्तकरण उक्त वारिसान पत्नि व पुत्रीयों का नाम भी अंकित होना चाहिये । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जेर अपील दिनांक 21.5.2019 ग्राम अखावा नामान्तकरण संख्या 51 निरस्त कर स्व0 देव्या के समस्त वारिसान के नाम पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये, नोटिस बाद तामिल प्राप्त । रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री धारा सिंह उपस्थित । राजकीय अभिभाषक एवं वकील रेस्पो0 की बहस सुनी गई ।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील मेमों अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम अखावा में स्व0 देव्या के स्वर्गवास के उपरान्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट शपथ पत्र रानी बाई एवं ग्रामवासियों की जानकारी के आधार पर खोले गये उक्त नामान्तकरण में गांव वालों द्वारा पूर्ण जानकारी नहीं दिये जाने के कारण मात्र रेस्पो0 के नाम तस्दीक हो गया है जबकि उसके अन्य वारिसान में एक बेवा पत्नि व चार पुत्रीयां भी है । ऐसी स्थिति में ग्रामवासियान द्वारा पूर्व जानकारी नहीं देने के अभाव में देव्या के सम्पूर्ण वारिसान के नाम नामान्तकरण नहीं खोला जाकर मात्र रेस्पो0 के ही नाम तस्दीक हो गया, कानूनगो द्वारा गांव में जाने व जांच में यह सामने आया कि मृतक खातेदार देव्या के अन्य ओर वारिसान चार पुत्रीयां एवं एक बेवा है जिनका भी नाम उक्त नामान्तकरण में दर्ज होना चाहिए । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम अखावा में नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 21.5.2019 निरस्त किया जाकर स्व0 देव्या के समस्त वारिसान के नाम पुनः नामान्तकरण तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया अपने पिता की एक मात्र पुत्री है जिसके अलावा कोई सन्तान नहीं है । जिनकी मृत्यु दिनांक 5.9.2004 को हो गई थी, प्रार्थीया की माता घीसी बाई की भी मृत्यु हो चुकी है । प्रार्थीया के माता पिता की मृत्यु के प्श्चात खसरा नम्बर 242,247,328,329 कुल किता–4 रकबा 2.68 हे0 भूमि ग्राम अखावा पटवार हल्का बोराबांस में प्रार्थीया के पिता के नाम दर्ज थी । तहसीलदार साहब को फोती इंतकाल खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाने पर पटवारी से वारिसान की जांच कर नामान्तकरण खोलने हेतु पटवारी हल्का को भिजवाने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 15.3.2019 को वारिसान सजरा बनाया गया जो फर्द के साथ पेश है । बिना शिकायत व बिना वारिसान के ही पटवार हल्का द्वारा दौबारा जांच रिपोर्ट कर तहसीलदार लाडपुरा को पेश कर दी तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा उस जांच रिपोर्ट को ही आधार मानकर माननीय न्यायालय में अपील पेश कर दी गई, अपील में जिन वारिसान को पत्नि, पुत्री व बेटा बताया जा रहा है जिनका सम्बन्ध देव्या से कोई सम्बन्ध नहीं है ओर ना ही यह लोग देव्या के वारिसान है । इस प्रकार से प्रार्थीया के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके एक मात्र सन्तान के रूप में प्रार्थीया ही है जिसके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं है तथा जो पटवारी

जिला कलेक्टर
कोटा

हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें अंकित वारिसान से प्रार्थीया एवं प्रार्थीया के माता पिता का कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया के नाम नामान्तकरण दर्ज किये जाने के आदेश बहाल रखा जावें ।

6. हमने वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । तहसीलदार द्वारा यह अपील ग्राम अखावा में मृतक खातेदार देव्या के स्वीकृत फौती नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 21.5.2019 में सभी विधिक वारिसान का नाम दर्ज नहीं होने से पेश की गई है । वकील रेस्पोडेन्ट का लिखित बहस अनुसार देव्या जी के मात्र रेस्पो0 ही एकमात्र सन्तान थी, देव्या जी का स्वर्गवास होने पर रेस्पो0 द्वारा फौती नामान्तकरण खोलने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा जांच कर सजरा अनुसार रेस्पो0 ही देव्या जी के वारिस होने से रेस्पो0 रानी बाई के नाम इन्तकाल खोला गया है । इसके विपरीत तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अपील अनुसार देव्या के रेस्पो0 के अतिरिक्त अन्य सन्तान एवं पत्नि होना बताया है जिनका उक्त नामान्तकरण में नाम दर्ज होने से छूट जाने से उक्त नामान्तकरण को निरस्त कराना चाहते है, न्यायहित एवं भविष्य में कानूनी विवाद उत्पन्न न हो इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए हमने गंभीरता पूर्वक कानूनी बिन्दुओं पर विचार किया जिस अनुसार हम मानते है कि कोई भी मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान का नाम फौती इन्तकाल में दर्ज होना चाहिए, यदि इस नामा0 में अन्य वारिसान का नाम छूठ गया है तो वारिसान की जांच कर सभी विधिक वारिसान के नाम इन्तकाल खोलने हेतु प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम अखावा में नामा0 सं0 51 दिनांक 21.5.2019 निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडपुरा को इस आशयक के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार देव्या के विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण खोला जाकर नवीन आदेश पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 20.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा